छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा चतुर्दश सत्र अंक-02

रायपुर, बुधवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2017

(अग्रहायण 29, शक संवत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 05 एवं 07 से 10 (कुल 09) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 06 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री उमेश पटेल अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 25 तारांकित एवं 50 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने -

(1) छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार -

(i) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-15/2016/32, दिनांक 31 अगस्त, 2017
(ii) अधिसूचना क्रमांक एफ 3-14/2011/32, दिनांक 4 अक्टूबर, 2017
(iii) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-02/2011/32, दिनांक 4 अक्टूबर, 2017
(iv) अधिसूचना क्रमांक एफ 1-20/2010/32, दिनांक 16 अक्टूबर, 2017
(v) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-22/2017/32, दिनांक 28 अक्टूबर, 2017
(vi) अधिसूचना क्रमांक एफ 1-20/2010/32, दिनांक 10 नवम्बर, 2017

(2) भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) की धारा 86 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 7-13/2017/32, दिनांक 9 नवम्बर, 2017, तथा

(3) भू-संपदा (विनियमन एवं विकास अधिनियम, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) की धारा 86 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 1-22/2017/32, दिनांक 13 नवम्बर, 2017 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक कोष नियम, 2017 **पटल पर रखे।**

3. पृच्छा

श्री धनेन्द्र साहू एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा शिक्षा कर्मियों की हड़ताल के संबंध में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की।

माननीन अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि स्थगन की सूचना प्रथम अवसर पर प्राप्त नहीं हुई थी, हड़ताल आदि स्थगन के विषय नहीं होते इसलिए मैंने सूचना अपने कक्ष में ही अग्राह्य कर दी है।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने प्रदेश के दुर्ग, रायपुर एवं बिलासपुर जिले में एनीकट एवं लाइनिंग निर्माण कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

(2) श्री केशव चंद्रा, सदस्य ने जिला जांजगीर-चांपा के विकासखण्ड बलौदा में फैक्ट्रियों के संचालन से सिलिकोसिस बीमारी होने से लोगों की मौत होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री भईयालाल राजवाड़े, श्रम मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री दलेश्वर साहू
(2) श्री लालजीत सिंह राठिया
(3) डॉ. खिलावन साहू
(4) श्री सत्यनारायण शर्मा

6. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक- 04, प्रेमनगर से निर्वाचित सदस्य श्री खेलसाय सिंह द्वारा दिसम्बर, 2017 सत्र में दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 से 22 दिसम्बर, 2017 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई है।

(सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई।)

7. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री टी.एस.सिंहदेव, सभापति ने लोक लेखा समिति का छप्पनवां, सत्तावनवां, अट्ठावनवां, उनसठवां, साठवां, इकसठवां, बांसठवां एवं तिरसठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
(2) श्री अशोक साहू, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन (तृतीय विधान सभा) पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में अष्टम् प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) प्रस्तुत किया।
(3) श्री श्रीचंद सुंदरानी, सभापति ने याचिका समिति का अष्टम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

8. राज्यपाल द्वारा लौटाये गये विधेयक पर विचार का प्रस्ताव

छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 36 सन् 2015)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 को पारित छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 36 सन् 2015) पर माननीय राज्यपाल के निर्देश के अनुसरण में विधेयक के खण्ड-2, 3 एवं 6 पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 को पारित छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 36 सन् 2015) को वापस लिये जाने की अनुमति चाही।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
अनुमति प्रदान की गई।

9. वर्ष 2017-2018 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि -अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है। अत: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

(सदन द्वारा सहमति दी गई।)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 39, 41, 42, 44, 55, 58, 64, 66, 67, 68, 71, 76, 79, 80 एवं 81 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर दो हजार तीन सौ अड़तालीस करोड़, तिरसठ लाख, अन्ठावन हजार, तीन सौ पैंसठ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री धनेन्द्र साहू (जारी..)

(1.30 से 3.30 बजे तक अंतराल)

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री गुरूमुख सिंह होरा, श्रीमती सरोजनी बंजारे, सर्वश्री अमरजीत भगत, श्रीचंद सुंदरानी, कवासी लखमा, श्याम बिहारी जायसवाल,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री मोहन मरकाम, बृहस्पत सिंह

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पदक्रम 10 का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

सर्वश्री केशव चन्द्रा, संतराम नेताम दलेश्वर साहू, दीपक बैज, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, डॉ. विमल चोपड़ा, श्री टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अनुपूरक अनुदान की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2017 (क्रमांक-19 सन् 2017)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2017 (क्रमांक-19 सन् 2017) का पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनूसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2017 (क्रमांक-19 सन् 2017) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
विधेयक पारित हुआ ।

11. मंत्रि-मंडल में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि मेरे पास मुख्यमंत्री, डॉ.रमन सिंह एवं उनके मंत्रि-मंडल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव की एक सूचना श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष की ओर से प्राप्त हुई है, जिसे मैं पढ़कर सुनाता हूं -

"यह सदन मुख्यमंत्री, डॉ.रमन सिंह एवं उनके मंत्रि-मंडल के विरूद्ध अविश्वास व्यक्त करता है।"

जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दिये जाने के पक्ष में हों, वे कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

चूंकि नियमावली के नियम 143 के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार सदस्यों की समस्त संख्या में से दशांश सदस्य खड़े हुए हैं, इसलिए इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए मैं, अनुमति देता हूं।

माननीय अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पर शुक्रवार, दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 को मध्याह्न 12.00 बजे से 5.30 बजे तक का समय चर्चा के लिए नियत किया।

सायं 6.56 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 (अग्रहायण-30, शक संवत् 1939) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा